कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली (म0प्र0)
माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में
ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in फोन–7805-233336 फैक्स–233335

कं0 / मा0चि0 / 2541 सिंगरौली, दिनांक 24/8/2016

प्रति,

महाप्रबंधक,
दुधिचुआ कोयला परियोजना
पो0–खड़िया,
जिला सोनभद्र (उ0प्र0)–231222

विषयः– दुधिचुआ विस्तार परियोजना हेतु वांछित 443.000 हे0 वन भूमि एवं 24.809 राजस्व वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सेक्शन 2 के तहत कोयला खनन हेतु व्यपवर्तन के लिए प्रस्ताव बावत्।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक / महा.प्र / दुधि / वन / 16 / 912 दिनांक 04.08.2016।

–000–

विषयांकित प्रस्ताव आपके संदर्भित पत्र के द्वारा सात प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न कमियाँ / त्रुटियाँ पायी गयीः–

1. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्तावों में अभिलेखों की आवश्यक चेकलिस्ट प्रस्ताव में संलग्न नहीं है और न ही अभिलेखों की आवश्यक चेकलिस्ट अनुसार पत्र लगे हैं।
2. प्रेषित प्रस्ताव में पेजिंग नहीं की गई है।
3. प्रस्तावित व्यपवर्तन वन भूमि रकवा 433.000 हे0 का वन विभाग के मानचित्र स्केल 1:50000 पर आवेदित क्षेत्र अंकित कर प्रेषित नहीं किया गया है।
4. प्रस्तावित व्यपवर्तन वन भूमि में रकवा 443.000 हे0 का आवेदित सर्वेक्षण की स्वीकृति की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
5. प्रस्तावित राजस्व वन भूमि ग्राम मेढ़ौली तहसील सिंगरौली के खसरा कं0 404 / 1, 410 / 1, 411 / 1, 412 / 1 एवं ग्राम पंजरेह के खसरा कं0 193 / 2, 172, 188 / 4 कुल रकवा 24.809 हे0 का पटवारी मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव में संलग्न कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली के पत्र कमांक 528 / भू–अर्जन / सी / 14 सिंगरौली दिनांक 27.06.2014 में दुधिचुआ परियोजना द्वारा अधिग्रहित ग्राम मेढ़ौली, पंजरेह, चटका, झिंगुरदह से संबंधित भूमि पर राजस्व वन भूमि न होने का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। संदर्भित पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि राजस्व अभिलेख के अनुसार ग्राम मेढ़ौली, पंजरेह में जंगल राजस्व मद भूमि कुल रकवा 88.485 हे0 में अंकित किया गया है जो प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है।

   उक्त जंगल राजस्व मद की भूमि पर भी म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र कमांक / 16–10–सात / 2–ए / 90 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 1997 की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है जिसके अनुसार उपरोक्त भूमि पर भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील होगा।
7. प्रस्ताव में काष्ठ बेनेफिट एनालिसिस में उप वन मण्डल अधिकारी बैढ़न एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी बैढ़न के हस्ताक्षर नहीं कराया गया है। इसके अलावा आपके द्वारा संबंधित कक्ष कमांकों एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की केएमएल फाइल की सीडी भी प्रेषित नहीं की गई है।

8. प्रस्ताव के साथ निम्नानुसार प्रमाण–पत्र सलग्न नहीं है :–

(1) न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग प्रमाण–पत्र (पूरे जिले में अन्य विकल्प के नहीं होने के परीक्षण का प्रमाण–पत्र)

(2) न्यूनतम वनक्षेत्र प्रभावित होने के संबंध में तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनतम तीन ऐसे वैकल्पिक परीक्षणों का उपयुक्त स्केल के नक्शे पर दर्शाते हुये उनकी परीक्षणात्मक टीप।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत क्लीयरेंस प्रमाण–पत्र।

(4) रि–क्लेमेशन प्लान का वचन पत्र।

(5) व्यवस्थापन का प्लान।

(6) आवेदित क्षेत्र में ऐतिहासिक/पुरातत्व धरोहर न होने का प्रमाण–पत्र।

(7) प्रभावित वन भूमि के नेट प्रेजेन्ट वैल्यू भुगतान हेतु वचन पत्र एवं भविष्य में एन.पी.व्ही. पुनरीक्षित होने पर अतिरिक्त देय राशि भुगतान हेतु वचन पत्र।

(8) क्षतिपूरक वनीकरण राशि भुगतान करने का वचन पत्र।

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्ति कर तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि समय–सीमा के अंदर प्रस्ताव को ऑनलाईन कर वरिष्ठ कार्यालय को हार्ड कॉपी प्रेषित की जा सकें। अतः प्राप्त प्रस्ताव मूलतः सात प्रतियों में संलग्न कर वापस भेजा जा रहा है।

संलग्नः– प्रस्ताव मूलतः सात प्रतियों में।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ0 क्रं0/मा0चि0/2542
सिंगरौली, दिनांक 24/8/2016

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. उप वन मण्डल अधिकारी बैढ़न की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली
24/8/2016